

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, अशोकनगर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अशोकनगर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबन्धित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ashoknagar** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ashoknagar** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **अनूपपुर** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **अनूपपुर** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Anuppur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Anuppur** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

379

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
: म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Alirajpur, the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Alirajpur may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **भोपाल** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **भोपाल** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Bhopal** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Bhopal** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

383

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **भिण्ड** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **भिण्ड** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Bhind** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Bhind** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

385

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, बालाघाट की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, बालाघाट यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State :

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Balaghat** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Balaghat** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

387

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Betul** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Betul** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

389

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बड़वानी** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बड़वानी** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Barwani** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Barwani** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बुरहानपुर** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बुरहानपुर** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Burhanpur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Burhanpur** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

393

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Chhatarpur**. the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Chhatarpur** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

395

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, छिन्दवाड़ा की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, छिन्दवाड़ा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Chhindwara the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Chhindwara may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

397

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, दतिया की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दतिया यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Datia** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Datia** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन.
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, दमोह की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दमोह यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Damoh** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Damoh** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

401

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, देवास की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, देवास यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Dewas the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Dewas may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

403

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, धार की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, धार यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dhar** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dhar** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **डिण्डोरी** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **डिण्डोरी** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dindori** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dindori** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

407

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, गुना की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, गुना यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Guna**, the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Guna** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

409

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Gwalior the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Gwalior may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Hoshangabad** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Hoshangabad** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

413

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, हरदा की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, हरदा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Harda** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Harda** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Jabalpur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Jabalpur** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, झाबुआ की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, झाबुआ यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Jhabua**, the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Jhabua** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, खण्डवा की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, खण्डवा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Khandwa** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Khandwa** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, खरगोन की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, खरगोन यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Khargone** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Khargone** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, कटनी की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, कटनी यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Katni the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Katni may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, मंडसौर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मंडसौर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Mandsaur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Mandsaur** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

427

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **मुरैना** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **मुरैना** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Morena** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Morena** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

429

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, मण्डला की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मण्डला यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Mandla** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Mandla** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबोधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Narsinghpur the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Narsinghpur may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, नीमच की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, नीमच यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Neemuch** the State Government is satisfied that it is necessary to do so:

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Neemuch** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VIJAY KATARIA, Secy.

435

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, पन्ना की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, पन्ना यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Panna the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Panna may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

437

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ़ की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ़ यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Rajgarh** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Rajgarh** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

439

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, रायसेन की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रायसेन यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Raisen** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Raisen** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ratlam** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ratlam** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, रीवा की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रीवा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Rewa the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Rewa may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सीहोर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीहोर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sehore** the State Government is satisfied that it is necessary to do so:

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sehore** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सागर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सागर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sagar** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sagar** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

449

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सतना की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सतना यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Satna** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Satna** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिजीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227.]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सीधी की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीधी यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sidhi** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sidhi** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

453

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Singrauli the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Singrauli may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

455

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं। अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shahdol** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shahdol** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

457

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिर्वाजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-I.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shajapur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shajapur** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

459

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Shivpuri the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Shivpuri may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

461

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **सिवनी** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **सिवनी** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Seoni** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Seoni** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

463

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, श्योपुर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, श्योपुर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Sheopur the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Sheopur may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

465

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **टीकमगढ़** की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **टीकमगढ़** यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Tikamgarh** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Tikamgarh** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
VIJAY KATARIA, Secy.

467

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, उज्जैन की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उज्जैन यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबोधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ujjain** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ujjain** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, उमरिया की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उमरिया यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Umaria** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Umaria** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय है अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, इन्दौर की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, इन्दौर यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Indore** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Indore** may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिये सक्रिय हैं अथवा हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा की अधिकारिता, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-5-1998-दो-सी-1, दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

F. No. 31-5-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Vidisha the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Vidisha may during the period from 1st April 2010 to 30th June 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

475